गज्य द्वारा एडीपीओ। भिमयुक्त सहित अधिवक्ता श्री एन०एस० तोमर। करण अभियोजन साक्ष्य हेत् नियत है। वियादी रामदास उप0। र्गियादी ने व्यक्त किया कि प्रकरण में आरोपी से राजीनामा की संमावना है। ष्ठमय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय दृष्टांत Afcons Infrastructure Limited Vs Cheriyan Varkely Construction Company private Limited (2010) 8 SSC 24 में दिए गए निर्देश के अनुसार मध्यरथाता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यरथता के संबंध में पूंछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यरथ श्री वीरेन्द्रसिंह राजपूत, एएसजे गोहद का चुनाव किया है।

Date of Order or proceeding with Signature of Presiding Office. Order or Proceeding अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उमय पक्षां व उनके अधिवक्ताओं के हर्नाक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को मेजा जाये। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल / असफल जो मी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें। उभयपक्ष मध्यस्थता हेत् मय अधिवक्तागण के प्रशिक्षित मध्यस्थ के समक्ष आज दिनांक 18.05.17 को दिन में 3:00 बजे स्वतः उप० रहें। प्रकरण आगामी दिनांक 25.05.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो। (A.K.Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.) मध्यस्थ न्यायालय से प्रकरण में मध्यस्थता कार्यवाही सफल होने की उभयपक्ष पूर्ववत। फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 द्राप्राण्य एवं राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हंस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री एम०एस० यादव एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री एगा०एस० तोमर द्वारा की गई। उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया। फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। राजीनामा के संबंध में फरियादी का कथन लेख किया गया। अमियुक्त पर भा0द0वि० की धारा 325, 323/34, 504 के अधीन अरोप है। जो कि शमनीय होना उपबंधित हैं। पक्षकारों के मधुर संबध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है। अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त सुकेश को धारा 325, 323/34, 504 भा०द०वि० के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रमाव अमियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अमियुक्त के जमानत मुचलके मारहीन किए जाते हैं। प्रकरण में जब्तश्दा संपत्ति अपील अवधि बाद मूल्यहीन होने से नष्ट का जाव। प्रकरण में आगामी दिनांक निरस्त की जाती है। का परिणाम पंजी में दर्जकर नियत अवधि में अभिलेखारार भेजा

जावे।